भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4656
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'आयुष्मान भारत' प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

4656. श्री नारायण तातू राणे:
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है और उक्त योजना के परिणामस्वरूप लोगों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि में कितनी बचत हुई है;
(ख) 'आयुष्मान भारत' योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं;
(ग) 'आयुष्मान भारत' प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को जारी की गई धन राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या निजी अस्पतालों की उदासीनता के कारण लोगों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं; और
(च) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा और अधिक निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I पर** दिया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सामाजिक सुरक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के माध्यम से जेब खर्च (ओओपीई) को कम करने में एबी-पीएमजेएवाई के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एबी-पीएमजेएवाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और राज्य-विशिष्ट कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा जैसी सरकार

समर्थित बीमा योजनाएं वित्तपोषण में 2.63% का योगदान करते हैं और सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि ने परिवारों की वित्तीय कठिनाई को काफी हद तक कम कर दिया है। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2022 के दौरान, सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 29.0% से बढ़कर 48.0% हो गया, जबकि जेब खर्च (ओओपीई) 62.6% से घटकर 39.4% हो गया।

(ख): दिनांक 24.03.2025 तक इस योजना के तहत 36.9 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, लाभार्थी परिवारों के लिए पात्रता मानदंड की पहचान शुरू में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6 वंचना और 11 व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) से की गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को संशोधित कर 12 करोड़ परिवारों तक बढ़ा दिया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों के प्रति लाभार्थियों के सत्यापन जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका, के लिए अन्य डेटाबेस (समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल के) का उपयोग करने की छूट प्रदान की। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ने अपनी लागत पर गैर-एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का उपयोग करके योजना के तहत लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंड का विस्तार करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया। इसके अलावा, 29.10.2024 को, सरकार ने 4.5 करोड़ परिवारों से जुड़े 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया है।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती होने पर व्यय की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ङ): पैनल में शामिल होने की शर्तों के अनुसार, अस्पताल योजना के पात्र लाभार्थियों को उपचार देने से इनकार नहीं कर सकते। पैनल में शामिल अस्पताल द्वारा सेवाओं से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियाँ हैं।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केन्द्रीय एवं राज्य कॉल सेंटर (14555), ईमेल, एसएचए को पत्र आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, शिकायतों के समाधान के लिए योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(च): इन-पेशेंट सेवाओं वाले सभी सरकारी अस्पतालों को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध माना जाता है। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों के समान ही इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है।

अधिकाधिक निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एनएचए ने प्रोसीजर्स की संख्या में वृद्धि के साथ संशोधित (1961) एचबीपी जारी किया है। इसके अलावा, 350 पैकेजों के लिए दरों में वृद्धि की गई है और नए पैकेज जोड़े गए हैं।
ii. दावा निपटान की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दावे का निपटान निर्धारित समय के भीतर हो जाए।
iii. एनएचए ने अस्पतालों को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हॉस्पिटल एंगेजमेंट मॉड्यूल (एचईएम 2.0) का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है।
iv. अस्पतालों का आभासी और भौतिक क्षमता निर्माण किया जा रहा है।
v. एक अस्पताल-विशिष्ट कॉल सेंटर (14413) उनकी चिंताओं का वास्तविक समय पर समाधान करने के लिए स्थापित किया गया है।
vi. लाभार्थियों और अस्पतालों के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझने के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों का नियमित रूप से दौरा करने के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयां (डीआईयू) स्थापित की गई हैं।

अनुलग्नक- I

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप	32,572
आंध्र प्रदेश	78,65,341
अरुणाचल प्रदेश	1,33,249
असम	37,25,630
बिहार	1,32,60,697
चंडीगढ़	1,04,084
छत्तीसगढ़	45,70,670
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	49,763
गोवा	1,07,089
गुजरात	67,01,820
हरियाणा	24,78,787
हिमाचल प्रदेश	7,99,728
जम्मू और कश्मीर	10,84,365
झारखंड	36,19,092
कर्नाटक	87,51,412
केरल	35,94,528
लद्दाख	24,474
लक्षद्वीप	3,498
मध्य प्रदेश	1,06,34,139
महाराष्ट्र	1,32,92,650
मणिपुर	3,73,701
मेघालय	4,30,702
मिजोरम	2,26,156
नागालैंड	2,96,233
पुदुचेरी	1,52,164
पंजाब	27,35,109
राजस्थान	80,72,469
सिक्किम	58,764
तमिलनाडु	1,16,21,507
तेलंगाना	39,78,169
त्रिपुरा	6,27,394
उत्तर प्रदेश	1,80,17,007
उत्तराखंड	9,73,184
दिल्ली	8,95,517
ओडिशा	77,79,939
पश्चिम बंगाल	1,43,39,146

अनुलग्नक- II

बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	78,745
आंध्र प्रदेश	1,56,45,241
अरुणाचल प्रदेश	1,55,473
असम	1,73,31,483
बिहार	3,72,35,018
चंडीगढ़	2,64,435
छत्तीसगढ़	2,33,23,348
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4,42,110
गोवा	90,548
गुजरात	2,72,96,057
हरियाणा	1,31,43,285
हिमाचल प्रदेश	13,87,423
जम्मू और कश्मीर	86,47,008
झारखंड	1,25,24,252
कर्नाटक	1,83,41,044
केरल	82,45,623
लद्दाख	1,95,340
लक्षद्वीप	35,606
मध्य प्रदेश	4,27,48,945
महाराष्ट्र	2,94,87,246
मणिपुर	6,57,183
मेघालय	20,51,227
मिजोरम	5,77,694
नागालैंड	7,37,724
पुदुचेरी	5,31,672
पंजाब	88,91,556
राजस्थान	2,23,44,252
सिक्किम	84,197
तमिलनाडु	79,32,327
तेलंगाना	82,66,761
त्रिपुरा	20,78,335
उत्तर प्रदेश	5,23,04,148
उत्तराखंड	59,42,627

अनुलग्नक- III

<u>एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती होने पर व्यय की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा</u>

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.1	1.1	2.3	2.6	2.4
आंध्र प्रदेश	1693.0	1909.5	2717.3	3356.1	3892.7
अरुणाचल प्रदेश	0.3	0.1	0.2	1.9	2.6
असम	0.2	141.0	267.4	392.0	898.1
बिहार	163.2	80.3	137.2	231.8	424.2
चंडीगढ़	3.7	3.3	5.5	9.5	17.7
छत्तीसगढ़	767.6	548.6	997.6	1542.5	2199.1
गोवा	0.1	0.3	0.4	0.8	1.5
गुजरात	2153.6	695.6	1620.6	2646.5	3607.0
हरियाणा	133.4	158.2	242.2	425.4	900.6
हिमाचल प्रदेश	50.5	36.0	70.8	80.7	90.2
जम्मू और कश्मीर	36.6	67.1	454.0	715.4	833.3
झारखंड	396.3	298.8	446.1	499.2	583.7
कर्नाटक	839.3	792.9	1118.3	1682.1	2083.6
केरल	690.1	768.4	1569.9	1702.7	1736.8
लद्दाख	0.0	0.0	0.7	8.5	10.5
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.2	1.3	1.3
मध्य प्रदेश	415.3	549.1	1169.6	1935.4	1938.2
महाराष्ट्र	485.3	537.1	736.0	770.0	918.6
मणिपुर	20.0	16.6	31.0	54.0	69.8
मेघालय	95.9	95.6	117.6	180.7	218.4
मिजोरम	26.2	21.1	17.7	31.4	40.1
नागालैंड	14.1	10.8	11.2	26.9	64.2
पुदुचेरी	1.2	1.1	7.5	20.4	33.9
पंजाब	237.2	473.4	668.8	381.1	729.8
राजस्थान	395.5	210.0	826.3	1717.9	2124.3
सिक्किम	1.7	1.6	1.9	4.4	7.3
तमिलनाडु	1017.2	828.5	1639.8	1374.1	1352.6
तेलंगाना	0.0	0.0	695.8	1146.0	1306.9
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	31.2	11.7	14.9	16.5	14.7
त्रिपुरा	30.4	24.1	40.6	79.0	112.6
उत्तर प्रदेश	336.9	302.2	576.8	1288.5	3026.4
उत्तराखंड	119.3	173.7	401.1	594.8	816.4

*****